

राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

आज्ञा

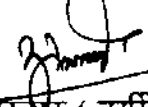
क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1002/2021

दिनांक : 28.04.2021

श्रीमती निधि शर्मा -I(RJ01034), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट टोडारायसिंह (टोंक) को दिनांक 26.04.2021 से 22.10.2021 तक 180 दिनों का मातृत्व अवकाश दिनांक 25.04.2021 एवं 23.10.2021 से 24.10.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती भावना भार्गव (RJ0728), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा (टोंक) को श्रीमती शर्मा -I के उक्त मातृत्व अवकाश की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट टोडारायसिंह (टोंक) के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

- (1) ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है अथवा उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयवद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
- (2) श्रीमती भावना भार्गव(RJ0728), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा (टोंक), अति. कार्यभार वाले न्यायालय में एक सप्ताह छोड़कर, एक सप्ताह में कम से कम तीन दिन (At least for three days in alternative week) कैम्प करेंगे।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 28.04.2021

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/22/2016/ 2782

दिनांक : 28.04.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक को उनके पत्रांक 2391 दिनांक 05.04.2021 के मन्दर्भ में।
3. श्रीमती निधि शर्मा -I(RJ01034), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट टोडारायसिंह (टोंक)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट टोडारायसिंह (टोंक)।
5. श्रीमती भावना भार्गव (RJ0728), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा (टोंक)।
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा (टोंक)।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) रा.उ.न्या., जोधपुर।


28.4.2021
सहायक रजिस्ट्रार